



5-23

बाद / प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 9.6.23 को पेश हो।


उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर माण्डल

9/6
23

पत्रावली महंगाई राहत कैम्प एवं प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023 ग्राम पंचायत लुहारिया मे पेवा हुई। विपक्षी के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शामिल पत्रावली किये गये। प्रार्थना का पाठ पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर अक्षर से कम है।


हुकमचन्द रोहलानिया
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 20

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी-हुकमीचन्द रोहलानिया, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 65/23 प्रा.पत्र

1- श्रीमती किशोर कंवर 609 श्री मनोहर सिंह श्रीलंकी निवासी - रकबा का रवेडा तहसील माण्डल

-प्रार्थी

बनाम

1- श्री गोपाल शो लाल श्यारोव निवासी - बांकली तहसील - माण्डल
2- राजस्थान राज्य परिषद तहसीलदार सा. माण्डल तहसील - माण्डल

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक- 09.06.23

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि गाँव तांकली पटवार हल्का चारावेडा तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं० 1529, 1708, 1588 कुल कित्ता 03 रकबा 2.4028 हेक्टर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी भूतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिसमें प्रार्थी अपने खाते / संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 16.5.23 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काशत काशत की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम तांकली पटवार हल्का चारावेडा तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं० 1529/746, 1708/746, 1588/746 कुल कित्ता 03 रकबा 2.4028 हेक्टर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक लेसवा को 1000/- रुपये / - कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील विन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

हुकमीचन्द रोहलानिया
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

हुकमीचन्द रोहलानिया
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023